<u>न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 143/2020 अपील (GCMS/2020/00148)
पंजीयन दिनांक - 17.02.2020
निर्णय दिनांक - 14.09.2020

1. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये प्रकरण प्रभारी विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री शान्तिलाल मारू पिता स्व. श्री सरदारमल मारू, निवासी 13-14, भानबाग, न्यू फतेहपुरा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर।
3. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थितिः-

1. श्री नरपतसिंह चुण्डावत - वकील अपीलार्थी
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री योगेन्द्र दशोरा - वकील प्रत्यर्थी-2 व 3 (राजकीय पेरोकार)

प्रकरण संख्या-02/2017, श्री शान्तिलाल मारू बनाम राज्य जरिये तहसीलदार, मावली व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 14.09.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा प्रकरण संख्या-02/2017, श्री शान्तिलाल मारू बनाम राज्य जरिये तहसीलदार, मावली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली समक्ष प्रत्यर्थी संख्या-1 श्री शान्तिलाल मारू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-131 एवं 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 5133/2560 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से उसके नाम अंकित है। उक्त भूमि उसके द्वारा पूर्व खातेदारान से क्रय की गई और कब्जा प्राप्त कर उपरोक्त कृषि आराजीयात भूमि का उपभोग उपयोग करता आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व नक्शा में भी अंकन की गई है, परन्तु राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम आदेश के उसके खातेदारी भूमि के उत्तरी भाग पर राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 3712 का तरमीम कर दिया गया है जबकि राजस्व ग्राम धुणीमाता में आराजी नम्बर 3712 है ही नहीं, बल्कि खातेदार माना पिता गणेश मु.देऊ बेवा गणेश 1/2 हि.ब., वरदा पिता गंगाराम 1/2 गाडरी की मूल आराजी नम्बर 3360 में से नया बना आराजी नम्बर 3712/3360 रकबा 17 बिस्वा है जो वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होकर उसकी खातेदारी की आराजी से काफी दुरी पर स्थित है। उक्त गलत अंकन से कई परेशानियां उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में राजस्व नक्शें में उक्त गलत अंकन को दुरस्त किया जाना आवश्यक है, ऐसे में उसके खातेदारी के आराजी नम्बर 5133/2560 के राजस्व नक्शें में उत्तरी भाग पर आराजी नम्बर 3712 की गलत तरमीम को दुरस्त करा उक्त आराजी नम्बर 3712 को हटाकर उसकी जमीन के कुलिया रकबे की सही तरमीम कराई जाकर सीमांकन कराये जाने का आदेश फरमाने का अनुरोध किया।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा निर्णय दिनांक 26.08.2019 से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 5133/2560 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि को प्रार्थी के कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शे में 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि अनुसार तरमीम करने एवं

आराजी नम्बर 3712 को राजस्व नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें से हटाया जाकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 3712 को तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित निर्णय 26.08.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 04.02.2020 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दिनांक 17.02.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 17.08.2020 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी नाहरमगरा द्वारा पेशशुदा रिपोर्ट का अवलोकन न कर फौरी कार्यवाही की गई जबकि उक्त रिपोर्ट में बिन्दुवार स्पष्ट अंकन किया गया है। हाल आराजी नम्बर 3712/3360 का साबिक आराजी नम्बर 451 भू-प्रबन्ध विभाग के अनुसार है तथा साबिक नक्शें में आराजी नम्बर 3712 आराजी नम्बर 2560 के पूर्वी उत्तरी कोने में लिखा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश नहीं किये न ही हाल व साबिक नक्शे को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करवाकर पेश किये तो किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय निष्कर्ष पर पंहुची, स्पष्ट नहीं है। हाल आराजी नम्बर 3712/3360 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर नाम दर्ज रेकर्ड है जबकि तरमीम हाल आराजी नम्बर 2560 के कोने में की गई आराजी नम्बर 3712/3360 का रकबा 0.17 बिस्वा है जबकि आराजी नम्बर 3360 मूल आराजी होकर रकबा 1.18 है। आराजी नम्बर 3360 में कोई तरमीम की हुई नहीं है। हाल आराजी नम्बर 3360 साबिक आराजी नम्बर 915/451 से बना है। अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नम्बर 3712 को राजस्व नक्शें से हटाने का आदेश पारित किया है लेकिन वर्तमान जगह से अन्य आराजी नम्बर 3712 का कहां अमल दरामद किया जायेगा, नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में जमाबंदी में आराजी नम्बर 3712 मौजुद है तो जमाबंदी अनुसार नक्शे में भी मोजुद होना आवश्यक है। अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु विशेषाधिकारी, नगर विकास प्रन्यास को नियुक्त किया गया

एवं अपीलाधीन आक्षेपित आदेश दिनांक 26.08.2019 आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर विभाग के अधिवक्ता को आवश्यक दस्तावेजों का संकलन कर उपलब्ध करवाये गये जिससे निर्णय दिनांक 26.08.2019 से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि को कण्डोन फरमाये जाने का अनुरोध किया। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज करने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट-1 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 5133/2560 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से प्रत्यर्थी संख्या-1 के नाम अंकित है। उक्त भूमि उसके द्वारा पूर्व खातेदारान से क्रय की गई और कब्जा प्राप्त कर उपरोक्त कृषि आराजीयात भूमि का उपभोग उपयोग करता आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व नक्शा में भी अंकन की गई है, परन्तु राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिना सक्षम आदेश के उसके खातेदारी भूमि के उत्तरी भाग पर राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 3712 का तरमीम कर दिया गया है जबकि राजस्व ग्राम धुणीमाता में आराजी नम्बर 3712 है ही नहीं, बल्कि खातेदार माना पिता गणेश मु.देऊ बेवा गणेश 1/2 हि.ब., वरदा पिता गंगाराम 1/2 गाडरी की मूल आराजी नम्बर 3360 में से नया बना आराजी नम्बर 3712/3360 रकबा 17 बिस्वा है जो वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होकर उसकी खातेदारी की आराजी से काफी दुरी पर स्थित है। उक्त गलत अंकन से कई परेशानियां उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में राजस्व नक्शें में उक्त गलत अंकन को दुरस्त किया जाना आवश्यक होने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर पूर्ण विश्लेषण किया गया और सभी तथ्यों पर पूर्ण विचार कर तार्किक निर्णय पारित कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया वैद्यानिक एवं कानूनी होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। यहि नहीं प्रस्तुत अपील स्पष्टतया मयाद बाहर है, प्रस्तुत कारण किसी भी प्रकार से संतोषपूर्ण नहीं है, प्रत्येक दिन की देरी के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये, न ही यह बताया गया है कि क्या सूचनाएं एकत्रित की गई, न ही कोई सूचनाएं अपील के साथ सलंग्न है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत

अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

वकील रेस्पोडेंट संख्या-2 व 3 राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत एवं पूर्ण जांच उपरान्त पारित किये जाने का कथन कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की बहस एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि किन आवश्यक दस्तावेजों का संकलन किया गया जो अपील मेमों के साथ भी प्रस्तुत नहीं किये गए। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। राजकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के संदर्भ में प्रक्रियागत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब के लिए सम्यक दृष्टिकोण रखा जाना न्यायालयों के लिए

औचित्यपूर्ण होता है, इस प्रकरण में वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अधिवक्ता अपीलार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया और आलौच्य निर्णय से अपीलार्थी को ससमय जानकारी थी, परन्तु समस्त कानूनी प्रावधानों से अभ्यस्त होने उपरान्त भी अग्रिम कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नही की गई। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-131 एवं 136 प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार, मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर पूर्ण विचार विश्लेषण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया गया कि प्रत्यर्थी संख्या-1 श्री शान्तिलाल मारू की भूमि आराजी नम्बर 5133/2560 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किये जाने से उसके नाम दर्ज है और मौके पर रकबे अनुसार काबिज होना बताया है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी-1 की आराजी नम्बर 5133/2560 की तरमीम कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा पर नहीं की गई एवं उसके आराजी के उत्तरी दिशा में आराजी नम्बर 3712 की तरमीम कर दी गई है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.07.2019 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजस्व रेकार्ड में आराजी 3712 किस प्रकार दर्ज हुई और प्रत्यर्थी के आराजीयात के साथ उसकी तरमीम किस आधार पर की गई। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.07.2019 में अंकनानुसार *''आराजी न.3712 राजस्व नक्शें में प्रार्थी की आराजी संख्या 5133/2560 की उत्तरी सीमा पर प्रार्थी की भूमि एवं नाले के बीच दर्शाया गया है जबकि जमाबंदी में आराजी न. 3712/3360 रकबा 0.18 बिस्वा बताया गया है जिसके अनुसार उक्त आराजी 3360 का हिस्सा होना चाहिए था परन्तु मूल आराजी 3360 रकबा 1.18 बिस्वा होकर सेटलमेंट जमाबंदी में खातेदार देवराम हीरादास पिता मोडीदास वैरागी सा धणोली के नाम दर्ज था और हाल जमाबंदी में भी आ.न. 3360 रकबा 1.18*

बिस्वा दर्ज होकर माना पिता गणेश वरदा पि. गंगाराम भूमि पत्नि लोगर गाडरी सां धणोली के नाम दर्ज है, उक्त आराजी नम्बर 3360 का कोई विभाजन नहीं होकर बटा नम्बर नहीं बना है। नक्शा अनुसार केवल 3712 ही दर्ज है जो मूल आराजी न. 2560 की उत्तरी सीमा पर दर्शाया गया है जबकि क्रम संख्या अनुसार 2500 सीरिज चल रही है। मूल आराजी न. 2560 एवं 3360 होने ही धूणीमाता में ही दर्ज है। दोनों आराजी के बीच करीब 500-700 मीटर की दुरी है।'

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पुनः मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने का अनुरोध किया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा न्यायहित में एवं वस्तुस्थिति की स्पष्टता हेतु तहसीलदार मावली से विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, मावली द्वारा पत्रांक 1147 दिनांक 23.07.2020 से मौका रिपोर्ट मय पटवारी रिपोर्ट, नक्शा एवं जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया कि आराजी न. 3712/3360 रकबा 17 बिस्वा की जांच की गई जिससे पाया गया कि ''*उक्त आराजी सेटलमेंट जमाबन्दी में 3712/3360 रकबा 17 बिस्वा होकर बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त है लेकिन राजस्व नक्शा में उक्त आराजी 5133/2560 के पास उत्तर दिशा में केवल 3712 ही लिखा गया है। हाल जमाबन्दी में भी आराजी नम्बर 3712/3360 रकबा 17 बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है जो धुणीमाता के नामा.स. 1372 दिनांक 21.09.2015 द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज हुआ। हाल जमाबन्दी अनुसार आ.न.3360 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा होकर माना पिता गणेश वरदा पिता गंगाराम भूरी पत्नि लोगर गाडरी नि. धणोली के नाम दर्ज है। जमाबंदी एवं नक्शा अनुसार आराजी न. 3360 का कोई टुकडा होकर सेटलमेंट से आदिनांक तक पूरा रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा चला आ रहा है जबकि नक्शें में आराजी न. 2560 के समीप बताया है जहां अंको की रदीप 2500 की चल रही है। उक्त आराजी 3712 को बढ़ते क्रम में नम्बर सेटलमेंट के समय दिया है जो सेटलमेंट में भी लाल स्याही से केवल 3712 ही अंकित किया गया है। मूल आराजी न. 2560 के बंटवारा होकर नये आराजी न. 5133/2560 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा एवं 5477/5133 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा समान भाग में विभाजित हुआ है एवं मूल न.*

2560 रकबा 12 बिस्वा किस्म सड़क होकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के नाम दर्ज है।'

राजस्व नक्शें के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आराजी नम्बर 5133/2560 व 5477/5133 के रकबे में भारी अन्तर प्रकट होता है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के कथन, राजस्व रेकार्ड में आराजी 3712 किस प्रकार दर्ज हुई और प्रत्यर्थी के आराजीयात के साथ उसकी तरमीम किस आधार पर की गई, का समर्थन करती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शें का अवलोकन करने पर भी राजस्व नक्शें में आराजी नम्बर 5133/2560 व 5477/5133 के रकबे में भारी अन्तर पाया गया। उक्त अन्तर आराजी नम्बर 3712 की तरमीम के कारण होना स्पष्ट जाहिर पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 को राजस्व नक्शें में भी रकबे का तरमीम कराने का अधिकारी मानते हुए उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 5133/2560 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि को श्री शान्तिलाल मारू के कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शे में 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि अनुसार तरमीम करने एवं आराजी नम्बर 3712 को राजस्व नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें से हटाया जाकर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 3712 को तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया।

पत्रावली पर उपलब्ध हाल जमाबन्दी में भी आराजी नम्बर 3712/3360 रकबा 17 बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है जो धुणीमाता के नामा.स. 1372 दिनांक 21.09.2015 द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय पर उपलब्ध तहसीलदार, मावली की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2019 में आराजी संख्या-3360 के भू-प्रबन्ध के दौरान खसरा परिशोधन एवं अन्य पत्रक/खतौनी संलग्न है। रकबा परिशोधन पत्रक अनुसार श्री देवराम हीरादास पिता मोडीदास के नाम 3 बीघा भूमि थी, जो रकबा संशोधन से 4.17 बीघा हुई जिसमें से 4 बीघा भूमि आराजी संख्या-3360 रकबा 1.18 बीघा एवं आराजी संख्या-3361 रकबा 2.02 बीघा होकर श्री देवराम हीरादास पिता मोडीदास वैरागी सा धणोली के नाम दर्ज हुई और 0.17 बीघा भूमि सिवायचक इन्द्राज होकर वर्तमान आराजी

संख्या-3712/3360 बनी हो उत्तरोतर नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हुई। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि उक्त आराजी संख्या 3712/3360 मुल आराजी संख्या-3360 का भाग है, जिससे नियमानुसार इसकी तरमीम आराजी संख्या-3360 के भाग के रूप में राजस्व नक्शें में की जानी चाहिए। परन्तु इसका तरमीम प्रार्थी संख्या-1 के आराजीयात पर की गई जो अनुचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय इन्ही तथ्यों के मध्यनजर प्रत्यर्थी-1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 स्वीकार किया जो पूर्णतया विधिक हैं।

प्रश्नगत अपील में अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष पक्षकारान द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पुरी तरह गौर किया एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर